उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2
संख्या जी–2–407/दस–2012–306–2002
लखनऊ : दिनांक 16 नवम्बर, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:उत्तर प्रदेश, वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के आधार पर स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2008 के सोलहवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर लिए गए निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम–38(1) के अधीन पूर्व से अनुमन्य स्थायी मासिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नानुसार पुनरीक्षित दर से स्थायी मासिक भत्ते का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रम संख्या	मैदानी क्षेत्र वर्तमान दर (रूपये प्रतिमाह)	मैदानी क्षेत्र पुनरीक्षित दर (रूपये प्रतिमाह)
1	2	3
1	50	100
2	100	200
3	150	300
4	200	400

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि दुग्ध विकास विभाग के अंतर्गत विद्यमान वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, दुग्ध निरीक्षक एवं दुग्ध पर्यवेक्षक पदों के पदधारकों को राजकीय विभागों के समकक्ष वेतनमान/ग्रेड वेतन के पदों के समान दर पर नियत यात्रा भत्ता दिनांक 01 नवम्बर,2012 से पुनरीक्षित दर पर इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इनके द्वारा कार्यक्षेत्र में की गयी यात्राओं हेतु प्रतिपूर्ति किए जाने का यदि कोई प्राविधान हो तो उसे समाप्त समझा जाय।

3– स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता हेतु वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अंतर्गत निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4– उक्त विषय पर पूर्व में निर्गत किए गए आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

5– वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियम में आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

6– स्थायी मासिक भत्ते की उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से लागू होंगी।

7– पर्वतीय क्षेत्र के लिए निर्धारित नियत यात्रा भत्ते की वर्तमान दरों के पुनरीक्षण से संबंधित आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या जी—2—407(1)/दस—2012—306—2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1)— महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3)— प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4)— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(5)— निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध, प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ।
(6)— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7)— समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(बी0के0 सिंह)
विशेष सचिव